# <u>न्यायालयः- सेशन न्यायाधीश, झालावाड़ (राज.)</u>

**पीठासीन न्यायाधीश–आलोक सुरोलिया,** R.J.S.(D.J.Cadre)

सेशन प्रकरण संख्या-**26/2022**

<u>CIS No.27/2022</u>

राजस्थान राज्य........................................................................**अभियोगी**

**ब ना म**

1. **कैलाशचन्द** पुत्र कालूलाल, आयु 44 वर्ष,
2. **कालूलाल** पुत्र गणपतसिंह, आयु 65 वर्ष,
3. **दुर्गाशंकर** पुत्र कालूलाल, आयु 48 वर्ष,

समस्त निवासीगण-बांसखेड़ा, पुलिस थाना-पनवाड़, जिला-झालावाड़(राज.)

**.....अभियुक्तगण**

**अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 323/34, 506, 506/34, 376 भा.द.सं.**

**(प्राथमिकी संख्या 92/2021, पुलिस थाना-पनवाड़)**

-----------------------

**<u>उपस्थितः-</u>**

1. श्री नरेन्द्र तौमर, विद्वान लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।
2. श्री अविनाश गुप्ता, विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्तगण की ओर से।

## निर्णय

**दिनांकः-22.05.2026**

अभियुक्त कैलाशचन्द के विरुद्ध यह विचारण धारा 341, 323, 323/34, 506, 506/34, 376 भा.द.सं. तथा अभियुक्तगण कालूलाल व दुर्गाशंकर के विरुद्ध यह विचारण धारा 341, 323, 323/34, 506, 506/34 भा.द.सं. के तहत पुलिस थाना-पनवाड़ द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 92/2021 में प्रस्तुत आरोप-पत्र पर किया गया है।

**2.** संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि दिनांक 17.06.2021 को परिवादिया/अभियोक्त्री **'क'** ने मय अपने पति मुकेश के पुलिस थाना, पनवाड़ पर उपस्थित होकर एक कम्प्यूटर टाईपशुदा रिपोर्ट **(प्रदर्श पी.2)** इस आशय की प्रस्तुत की कि वह ग्राम बांसखेड़ा थाना पनवाड़ तहसील खानपुर जिला झालावाड़ की निवासी होकर कम पढ़ी-लिखी महिला है, जो एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखती है। उसका व अभियुक्त कैलाश पुत्र कालूलाल का मकान आमने-सामने है। दिनांक 17.01.2018 को वह सुबह करीब 9-10 बजे अपने मकान के पिछवाड़े में स्थित बाड़े के बाथरूम में नहाने के लिए गई थी और बाथरूम के बाहर कपड़े धो रही थी। तभी उसको अकेला देखकर पीछे से मुल्जिम कैलाश आया और उसे

जबरदस्ती हाथ पकड़कर व बाथ में भरकर अपने सरसों के खेत में ले गया। उस समय मुल्जिम के हाथ में चाकू था। वहाँ पर जबरदस्ती उसे नीचे गिरा दिया और उसके मुँह में कपड़े की साफी ठूंस दी तथा उसी साफी को उसके गले में लपेट दिया और चिल्लाने नहीं दिया और इसने उसका पेटीकोट उगाड़कर जबरन उसके साथ बलात्कार किया। करीब 15-20 मिनट बाद मुल्जिम ने उसको छोड़ा और धमकी दी कि उक्त घटना किसी को बताई तो यह उसको व उसके परिवार को जान से मार डालेगा और पूरे समाज में बदनामी कर देगा, जिससे उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। वह, मुल्जिम के डर के मारे चुप रही और उक्त घटना किसी को नहीं बताई। उसके बाद भी मुल्जिम उसका मौका देखकर पीछा करता है और अकेली पाकर छेड़खानी व बेइज्जती का प्रयास करता है, परंतु वह मुल्जिम के डर से व समाज में बदनामी के डर से चुपचाप सहन करती रही और मुल्जिम की तरफ जाना ही बंद कर दिया। मुल्जिम के आतंक की वजह से कोई उसके खिलाफ मुँह नहीं खोलता है और यह कई बार गाली-गलौच कर उसको व उसके पति मुकेश व परिवारजनों को मारपीट करने का प्रयास करता है। मुल्जिम ने उसको फिर से बलात्कार करने की धमकी दे रखी है और कहता है कि उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। दिनांक 15.06.2021 को सुबह 10 बजे करीब उसका पति मुकेश खेत से आ रहा था, तो रास्ते में मुल्जिम कैलाश शराब पी रहा था, जिसने उसके पति को देखकर कहा कि तेरी पत्नी को मैं अपनी लुगाई बनाकर रखूंगा, उस समय मुल्जिम कैलाश के पास देशी कट्टा था, जिसको देखकर उसका पति घर आ गया और घटना की जानकारी दी, तभी मुल्जिमान कैलाश, इसकी पत्नी निर्मला धारिया लेकर और हंसराज पुत्र कालूलाल, संजूबाई पत्नी हंसराज, कालूलाल पुत्र गणपतलाल लकड़ियां लेकर उसके घर आ गए और मुल्जिमान ने घेरा देकर उसको व उसके पति को रोककर हमला कर दिया। उसके पति के कैलाश ने धारिये की मारी और कपड़े फाड़ दिए तथा सब मुल्जिमान ने उससे भी लातों-घूँसों से मारपीट की है। मुकेश के दांए हाथ पर धारिये की चोट लगी है। मुल्जिमान ने उनको बहुत माँ-बहन की गालियां निकालीं और वापस जाते समय उसे व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। कालूलाल ने यह भी कहा कि तुम उसके बेटे कैलाश की रिपोर्ट करवाओगे, तो मैं ढोल बजाकर जबरदस्ती परिवादिया को कैलाश की पत्नी बनाऊँगा। उक्त घटना के समय कैलाश पुत्र शिवलाल व अन्य लोगों ने उनका बीच-बचाव किया, अन्यथा मुल्जिमान उन्हें जान से मार देते, इत्यादि।

**3.** उक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना, पनवाड़ में प्राथमिकी संख्या 92/2021 अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 376, 504, 34 भा.द.सं.

**(प्रदर्श पी.3)** पंजीबद्व कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद आवश्यक अनुसंधान अभियुक्त कैलाशचन्द के विरुद्व अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 376, 504, 34 भा.द.सं. तथा अभियुक्तगण कालूलाल व दुर्गाशंकर के विरुद्व अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 504, 34 भा.द.सं. के विचारण हेतु पुलिस थाना, पनवाड़ की ओर दिनांक **21.02.2022** को आरोप-पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट, खानपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिनके द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्व उक्तानुसार अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर अपराध अन्तर्गत धारा 376 भा.द.सं. अनन्य रूप से सेशन न्यायालय द्वारा विचारण योग्य होने से प्रकरण विधिवत सुनवाई एवं निस्तारण हेतु इस न्यायालय को सेशन सुपुर्द किया गया, जो दिनांक 15.03.2022 को प्राप्त होकर दर्ज रजिस्टर किया गया।

**4.** दिनांक **24.06.2022** को उभय पक्ष की बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्त कैलाशचन्द को अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 323/34, 506, 506/34, 376 भा.द.सं. तथा अभियुक्तगण कालूलाल व दुर्गाशंकर को अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 323/34, 506, 506/34 भा.द.सं. के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाए एवं समझाए गए, तो अभियुक्तगण ने आरोप सुन-समझकर, अपराध अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

**5.** अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपों के समर्थन में **मौखिक साक्ष्य** में निम्नलिखित साक्षीगण के बयान लेखबद्ध करवाए गएः-

| **क्र.सं.** | **साक्षी क्रम** | **साक्षी का नाम** |
|---|---|---|
| 01. | पी.डब्ल्यू.1 | ओमप्रकाश |
| 02. | पी.डब्ल्यू.2 | अभियोक्त्री 'क' |
| 03. | पी.डब्ल्यू.3 | मुकेश |
| 04. | पी.डब्ल्यू.4 | कमलेश कुमार |
| 05. | पी.डब्ल्यू.5 | विकास कुमार |
| 06. | पी.डब्ल्यू.6 | देवेन्द्रसिंह |
| 07. | पी.डब्ल्यू.7 | जतनसिंह |
| 08. | पी.डब्ल्यू.8 | दशरथ |
| 09. | पी.डब्ल्यू.9 | डॉ. शैलेन्द्र कुमार |
| 10. | पी.डब्ल्यू.10 | डॉ. मधु माथुर |
| 11. | पी.डब्ल्यू.11 | अशोक कुमार |

**6.** अभियोजन पक्ष द्वारा प्रलेखीय एवं भौतिक साक्ष्य में निम्नलिखित दस्तावेजात प्रदर्शित करवाए गएः-

| **क्र.सं.** | **दस्तावेज** | **दस्तावेज का विवरण** |
|---|---|---|
| 01. | प्रदर्श पी.1 | गवाह ओमप्रकाश का पुलिस बयान |
| 02. | प्रदर्श पी.2 | अभियोक्त्री की कम्प्यूटर टाईपशुदा रिपोर्ट |
| 03. | प्रदर्श पी.3 | चाक एफ.आई.आर. |
| 04. | प्रदर्श पी.4 | घटनास्थल का नक्शा-मौका |
| 05. | प्रदर्श पी.5 | घटनास्थल का नक्शा-मौका मारपीट संबंधी |
| 06. | प्रदर्श पी.6 | अभियोक्त्री की बलात्संग परीक्षण रिपोर्ट |
| 07. | प्रदर्श पी.7 | अभियोक्त्री का धारा 164 द.प्र.सं. का बयान |
| 08. | प्रदर्श पी.8 | आहत मुकेश का चोट प्रतिवेदन-प्रपत्र |
| 09. | प्रदर्श पी.9 | फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त कैलाशचन्द |
| 10. | प्रदर्श पी.10 | फर्द तस्दीक नक्शा-मौका |
| 11. | प्रदर्श पी.11 | थानाधिकारी पनवाड़ का एफ.एस.एल. जयपुर को जारी पत्र |
| 12. | प्रदर्श पी.12 | पुलिस अधीक्षक झालावाड़ का एफ.एस.एल. जयपुर को जारी अग्रेषण-पत्र |
| 13. | प्रदर्श पी.13 | एफ.एस.एल. प्राप्ति रसीद |
| 14. | प्रदर्श पी.14 | मालखाना रजिस्टर की प्रविष्टियां |
| 15. | प्रदर्श पी.15 | अभियुक्त कैलाशचन्द की पुरुषत्व परीक्षण रिपोर्ट |
| 16. | प्रदर्श पी.16 | अभियुक्त कैलाशचन्द की धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना |
| 17. | प्रदर्श पी.17 व 18 | रोजनामचा रपटें |
| 18. | प्रदर्श पी.19 | अभियोक्त्री का घटना के वक्त पहने हुए कपड़े पेश करने में असमर्थता बाबत प्रार्थना-पत्र |

**7.** अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति पर अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा 313 जाब्ता फौजदारी किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने गवाहान के बयानात को गलत होना, गवाहान द्वारा झूठ बोलना कहा व स्वयं को निर्दोष बतलाते हुए झूठा केस बनाया जाना कथन किया। अभियुक्तगण द्वारा साक्ष्य-सफाई पेश करना चाहा गया, परंतु बावजूद अवसर कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई। हालांकि

अभियोजन साक्ष्य के दौरान गवाह मुकेश के पुलिस बयान को प्रदर्श डी.1 के रूप में अवश्य प्रदर्शित करवाया गया।

**8.** उभय पक्ष की बहस अंतिम सुनी गई। **विद्वान लोक अभियोजक** का तर्क है कि अभियोजन ने अपने प्रकरण को मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से संदेह से परे साबित कर दिया है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 15.06.2021 को सुबह 10.00 बजे या इसके लगभग फरियादी पक्ष के घर में उनके साथ मारपीट करने के आशय से उन्हें स्वेच्छया सदोष अवरोधित कर सामान्य आशय के अग्रसरण में आपस में मिलकर मजरूब मुकेश के साथ मारपीट कर उसे स्वेच्छया कुन्दाले से साधारण चोटें कारित कीं एवं फरियादी पक्ष को घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाने पर जान से मारने की धमकी देकर उनका आपराधिक अभित्रास कारित किया और दिनांक 17.01.2018 को सुबह 9-10 बजे के मध्य गाँव बांसखेड़ा में खेत में फरियादिया की सहमति व इच्छा के विरुद्ध जबरन उससे मैथुन कारित कर उसका बलात्कार किया। इस प्रकार अभियोजन ने अपने प्रकरण को साबित कर दिया है।

**9.** प्रत्युत्तर में **विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्तगण** का तर्क है कि तर्क है कि पत्रावली पर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध से जोड़ने वाली कोई भी साक्ष्य मौजूद नहीं है। अभियुक्तगण द्वारा कोई आपराधिक घटना कारित नहीं की गई है। अभियोजन पक्ष की कहानी प्रथमदृष्टया ही झूठी है। यह झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया है। गवाहान के बयानों में महत्वपूर्ण विरोधाभास है। अभियुक्तगण के विरूद्ध जो आरोप लगाए गए हैं तथा उनके संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा जो मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गई है, उसके मूल्यांकन एवं निष्कर्ष से आरोपित आरोप किसी भी प्रकार से साबित नहीं होते हैं। अतः अभियुक्तगण को संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा दौराने बहस अन्तिम दिए गए तर्कों एवं उन पर न्यायालय का विश्लेषण एवं विवेचन निर्णय की अग्रिम पंक्तियों में किया जाएगा।

**10.** हमने उभय पक्ष के परस्पर विरोधाभासी तर्कों पर मनन किया। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य-सामग्री का अवलोकन किया एवं सुसंगत विधि का अध्ययन किया। इस प्रकरण के निर्णय हेतु निम्नलिखित प्रश्न अवधार्य हैंः-

**(1) क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 15.06.2021 को सुबह 10.00 बजे या इसके लगभग फरियादी पक्ष के घर में उनके साथ मारपीट करने के आशय से उन्हें स्वेच्छया सदोष अवरोधित कर सामान्य आशय के अग्रसरण में आपस में मिलकर मजरूब मुकेश के साथ मारपीट कर उसे**

**स्वेच्छया कुन्दाले से साधारण चोटें कारित कीं एवं फरियादी पक्ष को घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाने पर जान से मारने की धमकी देकर उनका आपराधिक अभित्रास कारित किया और क्या दिनांक 17.01.2018 को सुबह 9-10 बजे के मध्य गाँव बांसखेड़ा में खेत में फरियादिया की सहमति व इच्छा के विरुद्ध जबरन उससे मैथुन कारित कर उसका बलात्कार किया?**

**(2) यदि 'हाँ', तो अभियुक्तगण किस दण्ड का भागी है?**

**11.** उपर्युक्त अवधार्य प्रश्नों के संबंध में पत्रावली पर अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का विश्लेषण करें तो अभियोजन पक्ष की ओर से कुल **11** साक्षीगण को साक्ष्य में प्रस्तुत कर परीक्षित करवाया गया है।

**12.** अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी.ड.1** ओमप्रकाश को अभियोजन की प्रार्थना पर **पक्षद्रोही** घोषित किया गया है।

**13.** साक्षिया **पी.ड.2 अभियोक्त्री 'क'** ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि दिनांक 17 जनवरी, 2018 दिन के 10-11 बजे की बात है, वह उसके बाड़े में नहा रही थी। हाजिर अदालत मुल्जिम कैलाश आया और उसे पकड़कर इसके सरसों के खेत में ले गया तथा उसके साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध जबरन बलात्कार किया। वह चिल्लाई तो इसने उसके मूँह में साफी ठूँस दी। हाजिर अदालत मुल्जिम कैलाश ने उसे धमकी दी कि अगर किसी को इस घटना के संबंध में कहेगी, तो तुझे जान से मार दूंगा। उसने लोक-लाज और शर्म की वजह से घर पर यह घटना की बात किसी को नहीं बताई। हाजिर अदालत मुल्जिम कैलाश घटना के बाद फिर उसके पीछे पड़ने लगा तो उसने 12 महीने बाद उसके पति को घटना की बात बताई तथा हाजिर अदालत मुल्जिम कैलाश के विरूद्ध उसने रिपोर्ट दर्ज करवाई। कैलाश, उसके पिता कालूलाल तथा कैलाश के भाई हंसराज ने उसके पति मुकेश के साथ इस बात को लेकर गाली-गलौज व मारपीट की। कैलाश ने उसके पति के धारिये की बांए हाथ पर मारी। शेष दोनों मुल्जिमान साथ थे, उन्होंने उसके पति के नहीं मारी थी। गाली-गलौज व मारपीट वाली घटना उसके घर के पास पीपली के पास हुई थी और उस समय वह भी अपने पति के साथ ही थी। उसके साथ कैलाश के पिता कालूलाल एवं भाई हंसराज ने कोई गाली-गलौज व मारपीट नहीं की थी। उसने थाने में रिपोर्ट दी थी। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.2 पर ए-बी उसके हस्ताक्षर हैं, तथा उसकी पुश्त पर भी ए-बी उसके हस्ताक्षर पुलिस कार्यवाही के नीचे अंकित हैं। चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी.3 पर भी ए-बी उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस आई थी और

घटनास्थल का मुआयना कर नक्शा-मौका व हालात-मौका प्रदर्श पी.4 व प्रदर्श पी.5 बनाए थे, जिन पर ए-बी उसके हस्ताक्षर हैं। उसके पुलिस में बयान हुए थे। पुलिस ने उसका बलात्कार संबंधी मेडिकल मुआयना करवाया था, जो प्रदर्श पी.6 है, जिस पर ए-बी उसके हस्ताक्षर हैं। मजिस्ट्रेट साहब के सामने भी उसके बयान हुए थे। धारा 164 द.प्र.सं. के बयान प्रदर्श पी.7 हैं, जिस पर ए-बी उसके हस्ताक्षर हैं।

**14.** साक्षी **पी.ड.3 मुकेश** ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि दिनांक 17.02.2018 की बात है। वह अपने घर से बाड़े में जा रहा था तो उसने उसकी पत्नी कमलेश के साथ मुल्जिम कैलाशचंद को देखा। कैलाशचंद के हाथ में चाकू था और उसकी पत्नी रो रही थी। उसने मुल्जिम कैलाशचंद को उसकी पत्नी के साथ बलात्कार करते हुए देखा था। फिर मुल्जिम कैलाशचंद उसे देखकर मौके से फरार हो गया और तीन महीने तक गायब रहा। फिर उसकी पत्नी अपने पीहर चली गयी थी। मुल्जिम के परिवारवालों ने हमें धमकी दी थी, जिसके डर से उसने थाने में रिपोर्ट दर्ज नही करवायी थी। फिर तीन महीने बाद मुल्जिम कैलाशचंद को उसके पिता उसके विरूद्ध रिपोर्ट कर गांव वापस लाए थे। फिर थाने में उसकी जमानत हुई थी और उसके पंद्रह-बीस दिन बाद उसने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवायी थी। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी2 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी.3 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा-मौका प्रदर्श पी.4 व 5 बनाए थे, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। इसी दौरान उनका मुल्जिमान के साथ लड़ाई-झगड़ा हुआ था। मुल्जिम कैलाशचंद ने उसके सिर पर लकड़ी से मारी थी, जिससे उसके सिर से खून निकल आया था, जिस बाबत उसका मेडिकल हुआ था। उसका मेडिकल मुआयना प्रदर्श पी.8 है। पुलिस ने उसके बयान लिए थे, जिनमें उसने सारी घटना बता दी थी।

**15.** साक्षी **पी.ड.4** कमलेश कुमार ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि दिनांक 17.01.2017 की बात है। फिर कहा कि 2018 को सुबह साढ़े नौ-दस बजे की बात है। उसका भाई मुकेश खेत पर से आ रहा था, जो उसे रास्ते में मिला, जिसने उसे बताया कि कैलाश खेत के रास्ते में शराब पी रहा है और उसके साथ गाली-गलौच कर मारपीट की है। तभी पीछे से कालूलाल, हंसराज, संजूबाई, कैलाश व विमलाबाई उसके मकान पर आए। मुल्जिमान ने मां-बहन की गालियां निकालीं और उसके भाई मुकेश से कालूलाल ने कहा कि मैं तेरी लुगाई को ढोल बजाकर अपने घर ले जाउंगा। मुल्जिमान ने उसके साथ भी लात-मुक्कों से मारपीट की थी। मुल्जिमान ने उसके भाई मुकेश व उसकी पत्नी कमलेश बाई

के साथ भी मारपीट की थी। मुकेश के दाहिने हाथ पर चोट आयी थी। इस घटना के आज से एक साल पहले 25-26 जनवरी को भी शाम को चार-पांच बजे मुल्जिमान ने हमारे साथ मारपीट की थी। उसके भाई मुकेश को उसकी पत्नी कमलेश ने बताया था कि 17.01.2018 को कैलाश ने उसके साथ बलात्कार किया था। पुलिस ने उसके सामने घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका प्रदर्श पी.4 व 5 बनाया था, जिन पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं।

**16.** साक्षीगण **पी.ड.5** विकास कुमार व **पी.ड.6** देवेन्द्रसिंह **कांस्टेबल्स** ने अपने सशपथ बयानों में कथन किया है कि दिनांक 04.08.2021 को उनके सामने अशोक कुमार थानाधिकारी ने अभियुक्त कैलाशचंद को गिरफ्तार कर फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी.9 बनाई थी, जिस पर क्रमशः ए-बी व सी-डी स्थान पर उनके हस्ताक्षर हैं। उनके सामने अभियुक्त कैलाशचंद द्वारा घटनास्थल की तस्दीक कराई गई थी, जिसका नक्शा-मौका अनुसंधान अधिकारी ने बनाया था, जो प्रदर्श पी.10 है, जिस पर क्रमशः ए-बी व सी-डी स्थान पर उनके हस्ताक्षर हैं।

**17.** साक्षी **पी.ड.7** जतनसिंह **कांस्टेबल** ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि दिनांक 18.08.2021 को प्रकरण संख्या 92/2021 अपराध अंर्तगत धारा 341, 323, 376, 504, 34 भा.द.सं. का मालखाना पुलिस थाना पनवाड़ में जप्तशुदा पैकेट एक्स, वाई, जेड, यू, वी कुल पांच पैकेट सीलबंद हालत में उसे मालखाना इंचार्ज दशरथ शर्मा हेड कानि. ने मालखाने से निकाल कर एफएसएल जयपुर में जमा करवाने के लिए मय अग्रेषण पत्र व कागजात के दिये थे। जिस पर उसने पुलिस थाना से रवाना होकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच कर अग्रेषण पत्र तैयार करवाया व दिनांक 19.08.2021 को उक्त पांचों पैकेट सीलबंद हालत में एफएसएल जयपुर में जमा करवा कर रसीद प्राप्त की थी तथा दिनांक 23.08.2021 को वापस पुलिस थाने पर आकर एफएसएल प्राप्ति रसीद व पुलिस अधीक्षक झालावाड़ से प्राप्त अग्रेषण पत्र मालखाना इंचार्ज दशरथ शर्मा को पेश किया था। पुलिस थाने का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी.11 है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय झालावाड़ का अग्रेषण-पत्र प्रदर्श पी.12 है, जिस पर ए-बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर हैं। एफ.एस.एल. प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी.13 है।

**18.** साक्षी **पी.ड.8** दशरथ **मालखाना इंचार्ज** ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि दिनांक 05.08.2021 को प्रकरण संख्या 92/2021 अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 376, 504, 34 भा.द.सं. में अशोक वर्मा एस.एच.ओ. पनवाड़ द्वारा दो सील्डशुदा पैकेट मार्क यू, वी लाकर पेश किये थे, जिनको उसने जमा मालखाना किया था। दिनांक 12.08.2021 को इसी प्रकरण के तीन पैकेट सीलचिट हालत में मार्क एक्स, वाई, जेड एस.आर.जी. अस्पताल झालावाड़ से

मुकेश कानि. 1206 ने लाकर पेश किये थे, जिनका उसने मालखाना रजिस्टर के क्रमांक 117/24 पर इंद्राज कर जमा मालखाना किया था। दिनांक 18.08.2021 को कुल पांच पैकेट सीलचिट हालत में एफएसएल जयपुर पर परीक्षण हेतु जतनसिंह कानि. 413 को थाने के अग्रेषण पत्र के साथ रवाना किया था। जिसने दिनांक 23.08.2021 को वापस आकर माल जमा प्राप्ति रसीद 15691 दिनांक 19.08.2021 की लाकर पेश की थी, जिसका उसने मालखाना रजिस्टर में इंद्राज कर अनुसंधान अधिकारी को सुपुर्द कर दी थी। असल मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी.14 है, जिस पर ए-बी स्थानों पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा सी-डी स्थान पर माल जमा का इंद्राज है तथा ई-एफ स्थान पर माल को एफएसएल भेजने का इंद्राज है तथा जी-एच एफएसएल प्राप्ति रसीद का इंद्राज है तथा आई-जे स्थान पर जतनसिंह कानि. के इंद्राज हैं, जो उसके अधीनस्थ होने के कारण वह उसके हस्ताक्षर पहचानता है। मालखाना रजिस्टर की फोटो प्रति प्रदर्श पी.14A है।

**19.** साक्षी **पी.ड.9** डॉ. शैलेन्द्र कुमार ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि दिनांक 05.08.2021 को पुलिस थाना पनवाड़ के प्रतिवेदन पर उसके द्वारा कैलाशचंद का पुरूषत्व संबंधित मेडिकल मुआयना किया गया था, जिसमें पाया गया कि कैलाशचंद शारीरिक संबंध बनाने व संभोग करने में सक्षम है। पोटेन्सी रिपोर्ट प्रदर्श पी.15 पर ए-बी उसके हस्ताक्षर हैं व सी-डी अभियुक्त कैलाशचंद के हस्ताक्षर है व ई-एफ अभियुक्त कैलाशचंद का पहचान चिह्न अंकित है तथा जी-एच उसकी राय अंकित है।

**20.** साक्षिया **पी.ड.10** डॉ. मधु माथुर ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि दिनांक 17.06.2021 को पुलिस थाना पनवाड़ के प्रतिवेदन पर महिला कानि. मंजिदा द्वारा अभियोक्त्री **'क'** को मेडिकल मुआयना के लिए प्रस्तुत किया गया था, जिस पर उसने पीडिता का मेडिकल मुआयाना किया था। पीडिता ने बताया कि उसके साथ दुष्कर्म किसी अज्ञात व्यक्ति ने जनवरी 2018 में किया था। उसके द्वारा किये गये परीक्षण में पाया कि पीडिता के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे तथा पीड़िता के जननांगो पर भी चोट के निशान नहीं थे। हाईमन पुराना फटा हुआ था। पी.वी. फाईडिंग में दो अंगूली आसानी से जा रही थी और डिस्चार्ज नॉर्मल और हेल्थी था। यूट्रस का साईज नॉर्मल था। उसकी अंतिम माहवारी की तारीख 02 जून 2021 थी। पीड़िता का नसबंदी का ऑपरेशन हो रखा था। उसने दौराने परीक्षण पीडिता के सैंपल ब्लड सैंपल-5CC एक वाईल, वैजाईनल स्मीयर-दो स्लाईड, वैजाईनल स्वाब-दो व ब्कल स्वाब-दो लिए थे। अंतिम राय एफएसएल रिपोर्ट आने तक सुरक्षित रखी गयी थी। पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श पी.6 पर ए-बी पीडिता के हस्ताक्षर हैं व सी-डी पीड़िता के

मेडिकल परीक्षण की सहमति है व ई-एफ पीड़िता का पहचान चिह्न अंकित है एवं जी-एच उसके हस्ताक्षर हैं तथा एक्स स्थान पर पीड़िता की अंगूठा निशानी है।

**21.** साक्षी **पी.ड.11** अशोक कुमार **अनुसंधान अधिकारी** ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि दिनांक 17.06.2021 को अभियोक्त्री **'क'** द्वारा उसके पति मुकेश के साथ उपस्थित थाना होकर एक टाईपशुदा रिपोर्ट उसके समक्ष पेश की गयी थी। रिपोर्ट के मजमून के आधार पर घटना के संबंध में उसके द्वारा मुकदमा नंबर 92/2021 धारा 323, 341, 376, 504, 34 भा.द.सं. में दर्ज कर उसके द्वारा अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। मूल तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.2 पर ए-बी अभियोक्त्री **'क'** व सी-डी मुकेश के हस्ताक्षर हैं तथा ई-एफ उसके द्वारा की गयी कार्यवाही पुलिस का अंकन है तथा जी-एच उसके हस्ताक्षर हैं। चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी.3 पर ए-बी अभियोक्त्री **'क'** व सी-डी मुकेश के हस्ताक्षर हैं तथा ई-एफ उसके हस्ताक्षर हैं। दौराने अनुसंधान उसके द्वारा अभियोक्त्री **'क'** व गवाहान मुकेश, कमलेश, लक्ष्मीनारायण, रामलाल, सम्पतराज, ओमप्रकाश के बयान धारा 161 सीआरपीसी उनके कथनानुसार लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किये गये थे। अभियोक्त्री **'क'** की निशादेही से घटनास्थल का निरीक्षण कर घटनास्थल का नक्शा-मौका मुर्तिब किया गया था, जो प्रदर्श पी.4 है, जिस पर ए-बी अभियोक्त्री **'क'** व सी-डी मुकेश के हस्ताक्षर हैं तथा ई-एफ गवाह कमलेश के हस्ताक्षर हैं तथा जी-एच उसके हस्ताक्षर हैं। जिस स्थान पर मजरूब मुकेश के साथ मारपीट की गयी थी, उस स्थान का नक्शा-मौका मुर्तिब कर शामिल पत्रावली किया गया था, जो प्रदर्श पी.5 है, जिस पर ए-बी अभियोक्त्री **'क'** के हस्ताक्षर हैं तथा सी-डी मुकेश के हस्ताक्षर हैं तथा ई-एफ कमलेश के हस्ताक्षर हैं तथा जी-एच उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोक्त्री **'क'** का बलात्कार संबंधी मेडिकल मुआयना करवाया गया था। बलात्कार संबंधी मेडिकल मुआयने की रिपोर्ट प्रदर्श पी.6 है। अभियोक्त्री **'क'** के न्यायालय में धारा 164 सीआरपीसी के बयान करवाये गये थे, जो प्रदर्श पी.7 हैं। मजरूब मुकेश की चोटो का मेडिकल मुआयना करवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया था, जो प्रदर्श पी.8 है। अनुसंधान से मुल्जिम कैलाश के खिलाफ धारा 323, 341, 376, 504, 34 भा.द.सं. का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर उसे जरिए फर्द प्रदर्श पी.9 गिरफ्तार किया गया था, जिस पर ए-बी विकास कानि. व सी-डी देवेन्द्र कानि. व ई-एफ मुल्जिम कैलाशचंद तथा जी-एच उसके हस्ताक्षर हैं। दौराने अनुसंधान मुल्जिम कैलाश का मेडिकल मुआयना करवाया जाकर पोटेन्सी टेस्ट करवाया गया था। मेडिकल मुआयने की रिपोर्ट प्रदर्श पी.15 है। दौराने अनुसंधान मुल्जिम कैलाश द्वारा पीड़िता कमलेश बाई के साथ किये गये बलात्कार स्थल के संबंध में

उसे सूचना दी गयी थी, जिसकी फर्द इत्तला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम प्रदर्श पी.16 मुर्तिब की गयी थी, जिस पर ए-बी मुल्जिम कैलाश व सी-डी उसके हस्ताक्षर हैं। मुल्जिम द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर घटनास्थल की तस्दीक की गयी थी, जिसका नक्शा-मौका प्रदर्श पी.10 है, जिस पर ए-बी कानि. विकास व सी-डी कानि. देवेन्द्र व ई-एफ मुल्जिम कैलाश व जी-एच स्थान पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोक्त्री **'क'** व मुल्जिम कैलाश से लिये गये नमूना सैंपल को एफएसएल जयपुर जमा करवाया गया था। पुलिस थाने का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी.11 है, जिस पर ए-बी उसके हस्ताक्षर हैं। एस.पी. झालावाड़ के कार्यालय का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी.12 है। एफएसएल जमा रसीद प्रदर्श पी.13 है। माल विशेष वाहक कानि. जतनसिंह व मालखाना इंचार्ज दशरथ सिंह हेड कानि. के बयान धारा 161 सीआरपीसी लेखबद्ध कर उसके द्वारा शामिल पत्रावली किये गये थे। कानि. जतन की रवानगी रपट प्रदर्श पी.17 है, जिस पर ए-बी उसके हस्ताक्षर हैं। बाद माल जमा कानि. जतन सिंह की वापसी की रपट प्रदर्श पी.18 है, जिस पर ए-बी उसके हस्ताक्षर है। पीडिता कमलेश के वक्त घटना पहने हुए कपड़े पेश नहीं करने के संबंध में एक प्रार्थना पत्र उसके समक्ष पेश किया गया था, जो प्रदर्श पी.19 है, जिस पर ए-बी अभियोक्त्री **'क'** के हस्ताक्षर हैं। अनुसंधान से मुल्जिम कालूलाल के खिलाफ अपराध धारा 341, 323, 504/34 भा.द.सं. का जुर्म प्रमाणित पाये जाने पर अपराध काबिल जमानती होने से मुल्जिम की जमानत थाने में तस्दीक की गयी थी। बाद अनुसंधान इनके खिलाफ जुर्म प्रमाणित किया गया। मुल्जिम कैलाश के विरूद्ध अपराध धारा 341, 323, 376, 504/34 भा.द.सं. का अपराध प्रमाणित पाया गया था। बाद अनुसंधान एस.पी. से चालानी आदेश प्राप्त कर चार्जशीट कताकर माननीय न्यायालय में पेश की गयी थी।

**22.** अभियोजन द्वारा पेश मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का गहनता से अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम यहाँ यह स्पष्ट किया जाना समीचीन है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **राजू व अन्य बनाम मध्यप्रदेश राज्य, AIR 2009 SC 858** के मामले में यह अवधारित किया गया है कि पीड़िता के मौखिक परिसाक्ष्य को बिना किसी अपवाद के वेदवाक्य उपधारित करते हुए विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है, बल्कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्व अपराध की अवधारणा करते समय यह भी संधारित किया जाना अपेक्षित है कि कहीं झूठा अभियोग अभियुक्तगण को उद्विग्न करते हुए उसका मानभंग कर उसे कोई क्षति तो नहीं पहुंचा रहा है। निस्सन्देह रूप से आपराधिक मामलों में अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित आरोपों

को युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने का दायित्व अभियोजन पक्ष का ही होता है। अपराध विधि एवं आपराधिक न्याय व्यवस्था में प्राथमिक एवं मौलिक नियम आरोपी को उस समय तक निर्दोष मानने का ही है, जब तक उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप ठोस, विश्वसनीय एवं त्रुटिरहित मान्य साक्ष्य के माध्यम से सन्देह से परे सिद्ध न कर दिया जाए। यह सुस्थापित विधि है कि संदेह चाहे जितना दृढ़ एवं प्रबल क्यों न हो, आरोपों की दोषसिद्धि एवं अभिपुष्टि हेतु वह विधिक साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकता, बल्कि आरोप जितना गम्भीर होगा, उसे सिद्ध करने का साक्ष्य का भार एवं गुणवत्ता अभियोजन पक्ष से उतनी ही अधिक अपेक्षित होगी। साथ ही यह भी सुस्थापित विधि है कि इस प्रकार के बलात्संग के मामलों में पीड़िता ही प्रकरण की सर्वोत्तम साक्षिया होती है तथा यदि उसकी साक्ष्य पूर्णतया **विश्वसनीय, निष्कलंक व भरोसेमंद** प्रकृति की हो, तो उसकी ऐसी एकल साक्ष्य के आधार पर भी दोषसिद्धि धारित की जा सकती है। माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्देशों एवं विधिक व्यवस्थाओं के आलोक में अभियोजन की ओर से परीक्षित कराए गए साक्षीगण के साक्ष्य एवं अभियोजन कथानक का विश्लेषण किया जाना समीचीन व युक्तियुक्त है।

**23.** उपरोक्त सम्माननीय न्यायिक दृष्टांतों एवं विधिक स्थिति के प्रकाश में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत की गई उक्त मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य का विश्लेषण एवं विवेचन सर्वप्रथम अभियुक्त कैलाशचन्द पर आरोपित आरोप धारा 376 भा.द.सं. के संबंध में किए जाने पर यह प्रकट होता है कि हस्तगत प्रकरण का उद्भव अभियोक्त्री द्वारा मय अपने पति के पुलिस थाना पनवाड़ पर दिनांक 17.06.2021 को उपस्थित होकर प्रस्तुत की गई लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी.2 पर हुआ है, जिसमें अभियोक्त्री ने उक्त आरोप के संबंध में दिनांक 17.01.2018 को सुबह करीब 9-10 बजे जब वह उसके मकान के पिछवाड़े में स्थित बाड़े के बाथरूम में नहाने गई थी एवं बाथरूम के बाहर कपड़े धो रही थी, तब उसे अकेली देखकर अभियुक्त कैलाश का वहाँ आना, उसे जबरदस्ती हाथ पकड़कर व बाथ में भरकर अपने सरसों के खेत में ले जाना, उस समय अभियुक्त के हाथ में चाकू होना व जबरदस्ती उसे नीचे गिराकर उसके मुँह में कपड़े की साफी ठूंसकर व गले में लपेटकर उसे चिल्लाने नहीं देना और उसका पेटीकोट उगाड़कर जबरन उसके साथ बलात्कार किया जाना अंकित किया है। इस प्रकार यह स्पष्ट दर्शित हो रहा है कि बलात्संग की उक्त कथित घटना दिनांक 17.01.2018, की रिपोर्ट अभियोक्त्री द्वारा 03 वर्ष, 05 माह के विलम्ब से दिनांक 17.06.2021 को प्रस्तुत की गई है। यह तथ्य अभियोक्त्री पी.ड.2 ने दौराने अभिसाक्ष्य भी जाहिर करते हुए कथन किया है कि **यह सही है कि मैंने रिपोर्ट दिनांक 17.06.2021 को थाने**

**में दी थी, जिसमें घटना दिनांक 17.01.2018 लिखाई गई है।** अनुसंधान अधिकारी पी.ड.11 अशोक कुमार द्वारा भी दौराने प्रतिपरीक्षा कथन किया गया है कि **यह सही है कि बलात्कार की रिपोर्ट पीड़िता ने साढ़े तीन वर्ष बाद दर्ज कराई थी।** इस प्रकार कथित बलात्संग की घटना की रिपोर्ट लगभग साढ़े तीन वर्ष के अत्यधिक विलम्ब से दर्ज करवाई जाना प्रकट हो रहा है। जहाँ तक उक्त विलम्ब के स्पष्टीकरण का प्रश्न है, तो अभियोक्त्री ने अपनी लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी.2 में यह अंकित किया है कि अभियुक्त ने उसे धमकी दी थी कि उक्त घटना किसी को बताई तो वह प्रार्थीया व प्रार्थीया के परिवार को जान से मार डालेगा और पूरे समाज में बदनामी कर देगा, परंतु अभियोक्त्री का उक्त स्पष्टीकरण संतोषजनक प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि दौराने अभिसाक्ष्य पी.ड.2 अभियोक्त्री ने लिखित रिपोर्ट में अंकितानुसार अभियुक्त द्वारा उसके परिवार को भी जान से मारने एवं समाज में बदनामी करने की धमकी का कोई जिक्र नहीं किया है। इसी क्रम में यह तथ्य भी ध्यान देने योग्य है कि अभियोक्त्री ने अपने 164 द.प्र.सं. के बयान में यह कथन अंकित करवाया है कि मैंने शर्म के मारे किसी को यह बात नहीं बताई तथा **<u>कैलाश भी गाँव से भाग गया और तीन माह तक वापस नहीं आया।</u>** उसके बाद इसका बाप कालूलाल इसको ढूंढकर लाया तथा कालूलाल ने उसके पति के खिलाफ रिपोर्ट करवा दी थी कि उसका पति शराब पीकर कैलाश के साथ मारपीट करता है तथा **वह उसको बदनाम करती है।** इस संबंध में अभियोक्त्री के पति पी.ड.3 मुकेश ने भी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि **कैलाशचंद मौके से फरार हो गया और <u>तीन महीने तक गायब रहा।</u>** मुल्जिम के परिवारवालों ने हमें धमकी दी थी, जिसके डर से मैंने थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई थी। फिर तीन महीने बाद मुल्जिम कैलाशचंद को उसके पिता मेरे विरुद्ध रिपोर्ट कर गाँव वापस लाए थे। इस प्रकार अभियोक्त्री व उसके पति के उक्त कथनों से तो यह प्रकट हो रहा है कि अभियुक्त स्वयं ही कथित बलात्संग की घटना के पश्चात गाँव से भाग गया था तथा तीन महीने तक गायब रहा था, तो ऐसे में अभियुक्त से कोई जान-माल अथवा प्रतिष्ठा का खतरा तो अभियोक्त्री को होना ही नहीं चाहिए था। इसके साथ ही जब कथित बलात्संग की घटना के तीन माह पश्चात स्वयं अभियुक्त के पिता कालूलाल द्वारा अभियोक्त्री के पति के विरुद्ध शराब पीकर कैलाश के साथ मारपीट करने की रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई थी तथा महत्वपूर्ण रूप से अभियोक्त्री पर कैलाश को बदनाम करने तक का आरोप लगा दिया गया था, तो अभियोक्त्री के पास यह उचित अवसर था कि वह भी अभियुक्त के विरुद्ध कथित बलात्संग की रिपोर्ट तत्समय प्रस्तुत कर सकती थी, जो उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किए जाने से उक्त दिया गया स्पष्टीकरण स्वाभाविक

एवं विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। यह अविश्वास इसलिए भी गहरा जाता है क्योंकि पी.ड.2 अभियोक्त्री यह कथन करती है कि **मैंने 12 महीने बाद मेरे पति को घटना की बात बताई थी** तथा मुल्जिम कैलाश के विरुद्ध मैंने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिस हिसाब से घटना की रिपोर्ट माह जनवरी-2019 में दर्ज होनी चाहिए थी तथा अभियोक्त्री का पति पी.ड.3 मुकेश तो यह कथन करता है कि उक्तांकित कथित बलात्संग की घटना के तीन महीने पश्चात अभियुक्त के पिता द्वारा उसके विरुद्ध दर्ज करवाई गई रिपोर्ट के मामले में उसकी थाने में जमानत हुई थी और उसके **15-20 दिन बाद मैंने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी**, अर्थात यह वर्ष-2018 में ही अभियुक्त के विरुद्ध रिपोर्ट प्रस्तुत कर देना कथन करता है, परंतु अभियोक्त्री व उसके पति के उक्त कहेनुसार वर्ष-2018 व 2019 की कोई रिपोर्ट समक्ष नहीं आई है, बल्कि लगभग साढ़े तीन वर्ष पश्चात के अत्यधिक विलम्ब से हस्तगत रिपोर्ट प्रस्तुत होना तथा उक्त विलम्ब का कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाना ही प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य से दर्शित हो रहा है।

**24.** अब यदि कथित बलात्संग की घटना बाबत प्रकरण की सर्वाधिक अहम साक्षिया अभियोक्त्री की साक्ष्य पर गौर करें, तो यह प्रकट हो रहा है कि अभियोक्त्री ने अपनी लिखित रिपोर्ट में बरवक्त घटना स्वयं का अकेला होना, उक्त घटना किसी को नहीं बताई जाना तो उल्लेखित किया है, परंतु अपने पति को उक्त कथित घटना के बारे में कब बतलाया, यह लिखित रिपोर्ट में स्पष्ट नहीं किया है। हालांकि अभियोक्त्री पी.ड.2 ने दौराने अभिसाक्ष्य अपनी मुख्य परीक्षा में घटना के 12 महीने बाद उसके पति को घटना की बात बतलाई जाने एवं फिर कैलाश के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराने का तथ्य जाहिर किया गया है, परंतु उक्त तथ्य सुसंगत व विश्वसनीय प्रतीत नहीं हो रहा है, क्योंकि 12 महीने बाद की कोई रिपोर्ट अभिलेख पर नहीं है, जबकि हस्तगत लिखित रिपोर्ट लगभग साढ़े तीन वर्ष देरीना प्रस्तुत होना स्वीकृत रूप से सामने आया है। अभियोक्त्री ने बरवक्त घटना अपने बाड़े में नहा रही होना तथा वहाँ से अभियुक्त कैलाश द्वारा उसे पकड़कर इसके सरसों के खेत में ले जाकर उसके साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरन बलात्कार किया जाना कथन किया है और आगे जाहिर किया है कि वह चिल्लाई तो इसने उसके मुँह में साफी ठूंस दी थी। घटनास्थल का नक्शा-मौका प्रदर्श पी.4 के अनुसार हालांकि अभियोक्त्री के मकान में बने लेटबाथ के पास ही अभियुक्त कैलाश के पिता कालूलाल का खेत होना एवं इस खेत में मार्क X स्थान पर कथित बलात्संग की घटना होना अभियोजन की ओर से दर्शाया गया है, किन्तु इसके साथ ही घटनास्थल के पास ही अन्य लोगों के

खेत व मकान होना भी दर्शित हो रहा है तथा अभियोक्त्री ने दौराने प्रतिपरीक्षा यह कथन भी किया है कि **यह सही है कि मेरे पड़ौस के मकानों में लोग परिवार सहित रहते हैं।** अभियोक्त्री का पति पी.ड.3 मुकेश ने भी कथन किया है कि **यह सही है कि मेरा मकान रिहायशी बस्ती में है। बाड़ा मेरे घर से सो फीट दूर है।** अनुसंधान अधिकारी पी.ड.11 अशोक कुमार ने भी दौराने प्रतिपरीक्षा कथन किया है कि **यह सही है कि दोनों मकानों में लगभग दस आदमी रहते होंगे। यह बात सही है कि घटनास्थल के आसपास खेत हैं, जहाँ लोग और मजदूर रहते हैं।** अभियोक्त्री पी.ड.2 ने यह भी कथन किए हैं कि **अभियुक्त के चाकू दांए हाथ में होगा। यह सही है कि अभियुक्त के एक हाथ में साफी थी।** महत्वपूर्ण रूप से आगे अभियोक्त्री ने कथन किया है कि **सरसों का खेत बाथरूम के बीच में पत्थर की डोली है। यह सही है कि पत्थर की डोली लगभग तीन फुट है। यह सही है कि अभियुक्त पत्थर की डोली कूदकर मुझे ले गया था। <u>यह कहना गलत है कि अभियुक्त डोली कूदकर गया हो, तब मेरे चोट लगी हों।</u>** न्यायालय की विनम्र राय में उक्त परिस्थितियों में एकमात्र अभियुक्त द्वारा एक हाथ में चाकू व दूसरे हाथ में साफी लेकर अभियोक्त्री जो कि लगभग 35 वर्षीय पूर्ण वयस्क महिला रही थी, को उसकी मर्जी के बिना बीच में स्थित रही तीन फीट ऊँची पत्थर की डोली को फांदकर ले जाना स्वाभाविक प्रतीत नहीं होता है, विशेषतः जबकि अभियोक्त्री ने डोली कूदते समय उसके चोट लगने से भी इन्कार किया है। यह भी प्रकट हुआ है कि यद्यपि अभियोक्त्री ने अपने सशपथ बयान में अभियुक्त ने उसके मुँह में साफी किस समय ठूंसी यह स्पष्ट रूप से जाहिर नहीं किया है, परंतु अभियोक्त्री की लिखित रिपोर्ट, पुलिस बयान व धारा 164 द.प्र.सं. के बयानों के अवलोकन से बलात्संग करते समय साफी ठूंसना इनमें अंकित करवाया गया है, जिस स्थिति में यह तथ्य भी सामने आ रहा है कि अभियोक्त्री के पास उसे उसके घर के बाथरूम के पास से अभियुक्त द्वारा पकड़कर खींचकर बीच में स्थित डोली को कूदकर घटनास्थल पर ले जाने तक के दौरान पर्याप्त समय लोगों को सहायता के लिए पुकारने एवं शोर मचाने का उपलब्ध था और यदि वह चिल्लाती तो पास में ही स्थित खेतों व मकानों से लोग वहाँ पर आसानी से पहुँच सकते थे, परंतु अभियोक्त्री द्वारा अवसर के बावजूद उसे कथित घटनास्थल पर ले जाते समय चिल्लाकर लोगों को नहीं बुलाना, उसके कथनों की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगाता है। यही नहीं अभियोक्त्री के कथनानुसार जिस प्रकार घटनाक्रम बतलाया गया है, उसके अनुसार अभियुक्त द्वारा अभियोक्त्री को उसके घर से जबरन खींचकर ले जाने, तीन फीट की पत्थर की डोली को अभियोक्त्री से जबरन लंघवाने, अभियोक्त्री को नीचे गिराकर व उसके मुँह में साफी ठूंसकर उसके साथ

जबरन बलात्संग करने की स्थिति में संघर्ष करने पर उसके हाथों व मुँह के साथ ही शरीर पर कई जगह पर चोटें आना भी स्वाभाविक स्थिति थी, परंतु बकौल अभियोक्त्री चोटें पति व ससुर को शर्म के मारे नहीं दिखाना एवं इनका ईलाज नहीं करवाने का कथन भी अस्वाभाविक एवं अविश्वसनीय प्रतीत होता है, क्योंकि ये चोटें व निशानात छिपाने योग्य नहीं हो सकते थे, विशेषतः अपने पति से। अब यदि अभियोक्त्री के सशपथ बयान के परिप्रेक्ष्य में अन्य साक्षीगण की साक्ष्य पर गौर करें, तो अभियोक्त्री के पति पी.ड.3 मुकेश ने दौराने अभिसाक्ष्य अभियोजन की कहानी एवं अभियोक्त्री के बयानों से कतई भिन्न व विरोधाभासी कथन किए हैं। इसने घटना दिनांक 17.02.2018 की बतलाते हुए कथन किया है कि **मैंने मेरी पत्नी अभियोक्त्री 'क' के साथ मुल्जिम कैलाशचंद को देखा। कैलाशचंद के हाथ में चाकू था और मेरी पत्नी रो रही थी। मैंने मुल्जिम कैलाशचंद को मेरी पत्नी के साथ बलात्कार करते हुए देखा था। फिर मुल्जिम कैलाशचंद मुझे देखकर मौके से फरार हो गया।** इस प्रकार अभियोक्त्री के पति ने अभियोजन कहानी के विपरीत रूप में स्वयं को घटना का चक्षुदर्शी साक्षी न्यायालय में बतलाया है और इस संबंध में इसने कथन भी किया है कि **यह सही है कि प्राथमिकी प्रदर्श पी.2 पर मेरा नाम चक्षुदर्शी गवाह के रूप में नहीं लिखा है। यह सही है कि पुलिस बयान प्रदर्श डी.1 में मैंने स्वयं को घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं बताया था।** अभियोक्त्री के पति ने यह भी कथन किया है कि **यह सही है कि मुल्जिम कैलाश मेरी पत्नी को बाथरूम से बाड़े तक घसीटते हुए लेकर गया था**, जबकि अभियोक्त्री ने कथन किया है कि **यह कहना गलत है कि अभियुक्त मुझे घसीटकर लेकर गया हो।** इसने यह भी कथन किया है कि **मेरे पिताजी ने भी बलात्कार की घटना देखी थी। मैंने तथा मेरे पिताजी ने चाकू के डर के मारे अभियुक्त से पीड़िता का बीच-बचाव नहीं किया। हम लोग डर के मारे चिल्लाए भी नहीं थे। <u>घटना के दौरान मेरी पत्नी चिल्ला नहीं रही थी।</u> आसपास के लोग घटना के घण्टे भर बाद मौके पर आए थे।** इस प्रकार यह प्रकट हो रहा है कि प्रकरण में जहाँ अभियोक्त्री की साक्ष्य विश्वसनीय व भरोसेमंद प्रकृति की नहीं रही है, वहीं अभियोक्त्री के पति पी.ड.3 मुकेश द्वारा भी लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी.2 एवं अपने पुलिस बयान प्रदर्श डी.1 से भिन्न एवं बढ़ा-चढ़ाकर अस्वाभाविक प्रकृति के कथन किए गए हैं, जिससे इसकी साक्ष्य भी विश्वसनीय नहीं रह जाती है। उक्त साक्षी के पिता/अभियोक्त्री के ससुर को अभियोजन की ओर से न्यायालय में परीक्षित नहीं करवाया गया है। साक्षी पी.ड.4 कमलेश कुमार जो कि उक्त साक्षी मुकेश पी.ड.3 का भाई है, ने कथन किया है कि **यह सही है कि मेरी भाभी ने उसके साथ हुई घटना के बारे में मुझे कभी नहीं बताया था।** साक्षी

पी.ड.1 ओमप्रकाश स्वतंत्र साक्षी ने दौराने अभिसाक्ष्य कथन किया है कि **यह कहना सही है कि मैंने कैलाशचंद द्वारा बलात्कार करने संबंधी कोई बात गाँव में नहीं सुनी और न ही इस संबंध में मुझे कोई जानकारी है।** इसने अपने **पुलिस बयान प्रदर्श पी.1** में भी इसी प्रकार का कथन किया है। पी.ड.10 डॉ. मधु माथुर जिसने अभियोक्त्री का बलात्संग बाबत चिकित्सकीय परीक्षण किया है, ने दौराने प्रतिपरीक्षा कथन किया है कि य**ह कहना सही है कि पीड़िता के द्वारा अपने साथ दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति का नाम नहीं बताया था। यह कहना सही है कि पीड़िता के शरीर पर व जननांगों पर किसी प्रकार की चोट के निशान नहीं थे।** अनुसंधान अधिकारी पी.ड.11 ने दौराने अनुसंधान अभियुक्त कैलाश की सूचना पर घटनास्थल का तस्दीक नक्शा-मौका प्रदर्श पी.10 तैयार करना कहा है, जिसका समर्थन हालांकि मौतबिर साक्षीगण पी.ड.5 विकास कुमार व पी.ड.6 देवेन्द्रसिंह ने किया है, परंतु इससे पूर्व ही घटनास्थल पुलिस की जानकारी में आ चुका था तथा इससे पूर्व नक्शा-मौका प्रदर्श पी.4 मुर्तिब किया जा चुका था, ऐसे में प्रकरण की परिस्थितियों में तस्दीक नक्शा-मौका का कोई महत्व नहीं रह जाता है। साक्षी पी.ड.8 दशरथ मालखाना इंचार्ज ने प्रकरण में वजह-सबूत मालखाना में जमा करना एवं एफ.एस.एल. में भेजकर जाँच करवाना कहा है एवं साक्षी पी.ड.7 जतनसिंह ने सीलबंद हालत में माल एफ.एस.एल. में जमा कर प्राप्ति रसीद लाने की साक्ष्य दी है, जो औपचारिक प्रकृति की साक्ष्य प्रकरण की परिस्थितियों में रही है। पत्रावली पर डी.एन.ए. रिपोर्ट भी उपलब्ध है, जो ऐसी सकारात्मक प्रकृति की नहीं है, जिससे अभियुक्त कैलाशचंद को अभियोक्त्री **'क'** के साथ जबरन बलात्संग के आरोपित आरोप धारा 376 भा.द.सं. से संयोजित किया जा सके। जहाँ तक विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से दिए गए इस तर्क का प्रश्न है कि अभियोक्त्री के पति मुकेश व अभियुक्त कैलाश के मध्य लेनदेन के विवाद को लेकर यह प्रकरण दर्ज करवाया गया है। इस संबंध में स्वयं पी.ड.3 मुकेश ने जाहिर किया है कि **मैंने व मुल्जिम कैलाश ने लगभग दो साल तक एक साथ मुनाफे पर जमीन जोने का काम किया था।** अभियोक्त्री पी.ड.2 ने भी कथन किया है कि **मेरा पति व अभियुक्त दोनों मिलकर पांति पर जमीन लेकर कार्य करते थे।** पी.ड.4 कमलेश कुमार ने कथन किया है कि **यह सही है कि कैलाश व मुकेश साझेदारी में जुपाई करते थे।** यद्यपि उक्त साक्षीगण ने पांति के पैसों को लेकर विवाद चलने से इन्कार किया है, परंतु यह स्वाभाविक तथ्य प्रतीत होता है कि जब मिलकर पांति पर जमीन लेकर कार्य किया जाता था, तो अवश्य ही दोनों के मध्य रुपयों का हिसाब-किताब भी चलता रहा होगा और इस संबंध में स्वतंत्र साक्षी पी.ड.1 ओमप्रकाश ने दौराने प्रतिपरीक्षा कथन किया है कि

**यह कहना सही है कि बाद में मुनाफे की उपज के हिसाब को लेकर इन दोनों के बीच में लड़ाई-झगड़ा हो गया था और इस कारण इन दोनों के मध्य रंजिश थी।** इसी प्रकार का कथन साक्षी ने अपने **पुलिस बयान प्रदर्श पी.1** में भी किया है। अनुसंधान अधिकारी पी.ड.11 अशोक कुमार ने आस-पड़ौस के साक्षीगण के विषय में अपनी सशपथ साक्ष्य में यह कथन किया है कि **गवाह लक्ष्मीनारायण, रामलाल, सम्पतराज बलात्कार की घटना की ताईद नहीं करते हैं।** स्वयं अभियोक्त्री के पति मुकेश के भाई पी.ड.4 कमलेश कुमार ने महत्वपूर्ण रूप से कथन किया है कि **यह कहना सही है कि मुल्जिमान व हमारे बीच नियमित लड़ाई-झगड़ा चल रहा था। <u>यह सही है कि मुल्जिमान द्वारा हमें काफी परेशान किया गया है, जिस कारण हमारे द्वारा अभियोक्त्री 'क' से बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी।</u>** इस प्रकार पक्षकारान के मध्य पूर्व विवाद होने का तथ्य बखूबी प्रकट हो रहा है, जो उक्तानुसार पांति पर जमीन लेकर साथ कार्य करने के स्वीकृत तथ्य के मद्देनजर विवाद पैसों के हिसाब-किताब व लेनदेन से संबंधित होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के उक्त किए गए सम्पूर्ण विवेचन एवं विश्लेषण से यह प्रकट हो रहा है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त कैलाशचन्द के विरुद्ध धारा 376 भा.द.सं. का आरोप सन्देह से परे साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है।

**25.** जहाँ तक तीनों अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित आरोप धारा 341, 323, 506 सपठित धारा 34 भा.द.सं. का प्रश्न है, तो लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी.2 में दिनांक 15.06.2021 को सुबह जब मुकेश खेत से आ रहा था, तो रास्ते में अभियुक्त कैलाश का शराब पी रहा होकर उससे यह कहना कि तेरी पत्नी को मैं अपनी लुगाई बनाकर रखूंगा, परंतु तत्समय कैलाश के पास देशी कट्टा देखकर मुकेश द्वारा घर आकर जानकारी देना, तभी कैलाश व इसकी पत्नी निर्मला का धारिया लेकर, हंसराज, संजूबाई व कालूलाल का लकड़ियां लेकर घर आना और कैलाश द्वारा अभियोक्त्री के पति मुकेश के धारिये की मारना, उसके कपड़े फाड़ देना, अभियोक्त्री से भी लातों-घूंसों से मारपीट करना, मुकेश के धारिये की चोट दांए हाथ पर लगना और वापस जाते समय जान से मारने की धमकी देना उल्लेखित किया गया है, परंतु इस संबंध में साक्षीगण की साक्ष्य से यह प्रकट हुआ है कि उक्त तथ्यों की पुष्टि साक्षीगण द्वारा दौराने अभिसाक्ष्य नहीं की गई है। दौराने अभिसाक्ष्य पी.ड.2 अभियोक्त्री ने लिखित रिपोर्ट में अंकित तथ्यों से भिन्न व विरोधाभासी कथन किया है कि **कैलाश ने मेरे पति के धारिये की बांए हाथ पर मारी**, जबकि लिखित रिपोर्ट में **दांए हाथ** पर चोट लगना अंकित करवाया है। लिखित रिपोर्ट में अभियोक्त्री ने स्वयं के साथ भी लातों-घूंसों से

मारपीट करना अंकित करवाया है, जबकि दौराने सशपथ बयान कथन किया है कि **मेरे साथ कैलाश के पिता कालूलाल एवं भाई हंसराज ने कोई गाली-गलौज व मारपीट नहीं की थी।** स्वयं पी.ड.3 मुकेश ने गम्भीर विरोधाभासी कथन किया है कि **मुल्जिम कैलाशचन्द ने मेरे सिर पर लकड़ी से मारी थी, जिससे मेरे सिर से खून निकल आया था**, जिस बाबत मेरा मेडिकल हुआ था, परंतु चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी.8 में इसके सिर पर कारित किसी चोट का उल्लेख नहीं है एवं इसमें एकमात्र जाहिरा चोट दाहिने हाथ पर धारदार हथियार धारिये की न होकर कुंद हथियार की तथा दूसरी चोट दर्द की उल्लेखित की गई गई है। आश्चर्यजनक रूप से चोट प्रतिवेदन तैयार करने वाले चिकित्सक को अभियोजन की ओर से साक्ष्य-सूची में ही सम्मिलित ही नहीं किया गया है। यही नहीं दौराने अन्वेषण ऐसा कोई धारिया भी जब्त नहीं किया गया है, जो अभियुक्त कैलाश द्वारा घटना में प्रयुक्त किया गया हो, न ही मुकेश के फटे हुए अथवा खून आलूदा कपड़े ही बरामद कर जब्त किए गए हैं। अभियोजन की ओर से परीक्षित एकमात्र स्वतंत्र साक्षी पी.ड.1 ओमप्रकाश ने भी मारपीट की घटना का समर्थन नहीं किया है तथा **पक्षद्रोही** घोषित हुआ है। महत्वपूर्ण रूप से इस साक्षी पी.ड.1 ने अपने पुलिस बयान प्रदर्श पी.1 में अभियोजन कहानी के सर्वथा विपरीत अभियोक्त्री के पति मुकेश द्वारा शराब पी रखी होना, उस समय कैलाशचंद का खेतों की तरफ से आने पर मुकेश द्वारा शराब के नशे में उससे गाली-गलौच करना, फिर मुकेश का वहाँ से चले जाना तथा फिर मुकेश, उसकी पत्नी अभियोक्त्री व मुकेश का भाई कमलेश का वहाँ आकर कैलाशचंद के साथ गाली-गलौच करने पर कैलाशचंद द्वारा भी गाली-गलौच करना, मौके पर कैलाश का भाई हंसराज उर्फ दुर्गाशंकर व पिता कालूलाल का भी आ जाना और दोनों पक्षों में आपस में गाली-गलौच होना कोई लड़ाई-झगड़ा नहीं होना व झगड़े के वक्त कैलाशचंद की पत्नी निर्मला व हंसराज की पत्नी संजूबाई मौजूद नहीं होना कथन किया गया था। हालांकि इस साक्षी ने दौराने अभिसाक्ष्य लोक अभियोजक द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा के दौरान उक्त बयान पुलिस को नहीं दिया जाना कथन किया गया है, किन्तु यदि यह साक्षी ऐसा कथन नहीं करता एवं पुलिस बयानों के अनुरूप ही साक्ष्य देता, तो भी इसकी न्यायालयीन साक्ष्य अभियोजन कहानी के विपरीत एवं विरोधाभासी ही रही होती। इस प्रकार उक्त स्वतंत्र साक्षी की साक्ष्य स्वयं अभियोक्त्री, उसके पति आहत मुकेश के उक्तानुसार साक्ष्य में किए गए कथनों के परिप्रेक्ष्य में मारपीट की घटना बाबत गम्भीर संदेह उत्पन्न कर देते हैं। जैसाकि हम ऊपर देख चुके हैं कि पक्षकारान के मध्य पूर्व विवाद चलते रहे थे और उक्त आहत मुकेश के भाई पी.ड.4 कमलेश द्वारा भी कथन किया गया है कि **यह कहना सही है कि**

**मुल्जिमान व हमारे बीच नियमित लड़ाई झगड़ा चल रहा था। दो-तीन बाद हमारे बीच में मुकदमेबाजी भी हुई थी। <u>यह सही है कि हमने काफी परेशान होने के बाद ही मुल्जिमान के विरुद्ध यह रिपोर्ट दर्ज करवाई है</u>** और आगे कथन किया है कि **यह सही है कि मैंने स्वयं कोई घटना नहीं देखी।** यह भी प्रकट हुआ है कि कथित मारपीट की घटना दिनांक 15.06.2021 को सुबह 10 बजे की बतलाई गई है, जबकि इसकी रिपोर्ट दिनांक 17.06.2021 को समय 3.52 पी.एम. पर, 48 घण्टे के विलम्ब से दर्ज करवाई गई है। स्वयं अनुसंधान अधिकारी पी.ड.11 अशोक कुमार ने दौराने प्रतिपरीक्षा कथन किया है कि **यह सही है कि जिस दिन इन्होंने रिपोर्ट लिखवाई उससे दो दिन पूर्व पीड़िता के पति व मुल्जिम कैलाश और उनके परिवारों के बीच लड़ाई-झगड़ा और मारपीट हुई थी।** इस प्रकार मारपीट की घटना की रिपोर्ट दो दिन विलम्ब से दर्ज करवाए जाने का भी कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है, ऐसे में जबकि पक्षकारान के मध्य पूर्व से विवाद व मुकदमेबाजी चल रही थीं, स्वयं आहत व अभियोक्त्री की साक्ष्य में उक्तानुसार गम्भीर विरोधाभासी तथ्य विद्यमान रहे हैं, तो ऐसे में सोच-विचारकर एवं सलाह-मशवरा कर, दोनों पक्षों में आपस में हुई गाली-गलौच की घटना को बाद में बढ़ा-चढ़ाकर एवं मिथ्या तथ्य समाविष्ट कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का मामला प्रतीत हो रहा है। स्वयं अभियोक्त्री ने दौराने अभिसाक्ष्य यह कथन भी किया है कि **यह सही है कि रिपोर्ट मैंने कोर्ट में वकील साहब से लिखवाई थी।** पी.ड.3 मुकेश ने भी कथन किया है कि **रिपोर्ट प्रदर्श पी.2 न्यायालय में टाईप करवाई थी।** इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के उक्त किए गए समग्र विवेचन से प्रकरण में गम्भीर विरोधाभास दर्शित हो रहे हैं, जिनसे अभियोजन मामले की सत्यता के प्रति युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न हो जाता है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि अभियुक्तगण को आरोपित अपराध के लिये तब तक दोषी नहीं माना जा सकता, जब तक कि अभियोजन पक्ष अपनी कहानी को सन्देह से परे साबित करने में सफल नहीं हो जाता। यदि अभियोजन कहानी में तनिक भी सन्देह है तो सन्देह का लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना चाहिये। उपरोक्त विश्लेषणानुसार हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष यह तथ्य संदेह से परे साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है कि अभियुक्त कैलाशचन्द ने दिनांक 17.01.2018 को सुबह 9-10 बजे के मध्य गाँव बांसखेड़ा में खेत में फरियादिया/अभियोक्त्री की सहमति व इच्छा के विरुद्ध जबरन उससे मैथुन कारित कर उसका बलात्कार किया हो और अभियुक्तगण कैलाशचन्द, कालूलाल व दुर्गाशंकर ने दिनांक 15.06.2021 को सुबह 10.00 बजे या इसके लगभग फरियादी पक्ष के घर में उनके साथ मारपीट करने के आशय से उन्हें स्वेच्छया

सदोष अवरोधित कर सामान्य आशय के अग्रसरण में आपस में मिलकर मजरूब मुकेश के साथ मारपीट कर उसे स्वेच्छया कुन्दाले से साधारण चोटें कारित की हों एवं फरियादी पक्ष को घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाने पर जान से मारने की धमकी देकर उनका आपराधिक अभित्रास कारित किया हो। लिहाजा अभियुक्तगण को सन्देह का लाभ दिया जाकर आरोपित अपराध से दोषमुक्त किया जाना न्यायसंगत है।

## आदेश

अतः अभियुक्त **1.कैलाशचन्द** पुत्र कालूलाल, आयु 44 वर्ष, निवासी-बांसखेड़ा, पुलिस थाना-पनवाड़, जिला-झालावाड़ (राज.) को अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 323/34, 506, 506/34, 376 भा.द.सं. तथा अभियुक्तगण **2. कालूलाल** पुत्र गणपतसिंह, आयु 65 वर्ष व **3.दुर्गाशंकर** पुत्र कालूलाल, आयु 48 वर्ष, निवासीगण-बांसखेड़ा, पुलिस थाना-पनवाड़, जिला-झालावाड़ (राज.) को अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 323/34, 506, 506/34 भा.द.सं. के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोपों से संदेह का लाभ दिया जाकर **दोषमुक्त** घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण के जमानत-मुचलके बाबत हाजिरी तुरंत प्रभाव से निरस्त किए जाते हैं।

**(2)** प्रकरण में संबंधित पुलिस स्टेशन/कार्यालय के मालखाने में पडी जब्तशुदा सामग्री (यदि कोई हो) का निस्तारण सामान्य नियम (सिविल/आपराधिक) 2018 के अनुसार/नियमानुसार अपील अवधि समाप्त होने के बाद या अपील होने की सूरत में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश के अधीन किया जाएगा।

**(3)** अभियुक्तगण की ओर से अपील होने की अवस्था में माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थिति बाबत धारा 437ए द.प्र.सं. के पेश किए गए जमानत-मुचलके आज निर्णय की दिनांक से आगामी छः माह की अवधि के लिए प्रवर्तन में रहेंगे।

**(4)** उपलब्ध सामग्री एवं निकाले गए निष्कर्ष से पीडित प्रतिकर स्कीम के अधीन किसी प्रतिकर की अनुशंसा किया जाना उचित नहीं पाया जाता है।

**(आलोक सुरोलिया)**
सेशन न्यायाधीश
झालावाड (राजस्थान)

**26.** निर्णय व आदेश आज दिनांक **22.05.2026** को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

**(आलोक सुरोलिया)**
सेशन न्यायाधीश
झालावाड (राजस्थान)

**प्रमाण पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि निर्णय में किये गये सभी संशोधनो को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

(शकील मोहम्मद)
स्टेनो ग्रेड प्रथम

नोटः यह प्रतिलिप प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते है।